

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, शिक्षा सीकर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक-शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(202)/सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III/2021-22 दिनांक 18.06.2023 की अनुपालना में नियुक्ति एवं पदस्थापन प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III (NON-TSP)के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अन्तर्गत लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार नियत मानदेय (Fixed Remuneration)23700/- रु.प्रतिमाह/विद्यमान (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, राजस्थान का परिपत्र दिनांक 18.05.2020, शासन का पत्र दिनांक 27.08.2021 एवं श्रीमान् निदेशक माशि राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 18.04.2022 के अनुसरण में दिनांक 23.06.2023 को आयोजित परामर्श शिविर में उनके द्वारा दिये गये विकल्प/सहमति पत्र के आधार पर श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(202-1)/सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III/डिग्री सत्यापन/2023 दिनांक 21.07.2023 द्वारा इनके दस्तावेजों की Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्तसंलग्न सूची के अभ्यर्थी को पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-IIIके पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (Fixed Remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जाएंगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा एवं श्रीमान् वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के संशोधित आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक 04.09.2019 के अनुसार शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलेण्डर वर्ष 01 जूलाई से 30 जून तक रहेगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को अवगत करावे।
3. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी /ए-III/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 7(13)कार्मिक/क-2/23 जयपुर, दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी एवं के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
7. आवेदक द्वारा देहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण किये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
9. नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/-रु0. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि, यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई जाने एवं इनके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज त्रुटिपूर्ण, कुटरेचित अथवा जाली पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

202

10. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें।
11. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करने के उपरान्त विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करावें, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर तत्समय इस कार्यालय स्पष्ट टिप्पणी सहित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करे। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावेगी।
12. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है ,अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति की मिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
13. आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम प्रमाण-पत्र माता/पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
14. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें।
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राजस्थान राज्य सेवा में कार्यरत है तो पूर्व नियुक्ति अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 16.08.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इनको शाला दर्पण पर काउंसलिंग ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाकर इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

संलग्न:- आदेश संख्या-03

25/7/23

(शीशाराम कुलहरि)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक, शिक्षा सीकर

दिनांक :-25.07.2023

क्रमांक :- जिशिअ/मु0-माध्य/सी/संस्था-1/पु0अ0 ग्रेड-11/भर्ती-2022/2023/03

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. श्रीमान् सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
6. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा) चूरु संभाग चूरु।
8. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, सीकर।
9. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला -सीकर।
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। अतः आप अपने संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
11. सम्बन्धित अभ्यर्थी.....। (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
14. रक्षित पत्रावली

25/7/23

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक, शिक्षा सीकर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर



पदस्थापन सूची


क्रमांक :- जिशिअ/मु0-माध्य/सी/संस्था-1/पु0अ0 ग्रेड-III भर्ती-2022/2023/03

दिनांक :- 25.07.2023

आदेश संख्या- 03

पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III

Sr. No.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME FATHER NAME And DOB	address	CATE	H CATE	GEN DER	SEL CATE	POSTING PALACE	BLOCK	PHOTO
1	655447	24	PAWAN KUMAR KUMAWAT/ MOOL CHAND KUMAWAT 08-08-1996	VPO HARSH VIA SANVALI District SIKAR PINCODE&"332021	OBC		M	GEN	SETH RAMPRATAP GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GURARA KHANDELA (219177)	KHANDELA	
2	605192	221	RAMESH KUMAR VERMA/ KISHAN LAL VERMA 02-03-1993	VPO- MUNDIAGARH TEHSIL- KISHANGARH RENWAL District JAIPUR PINCODE&"303603	SC		M	SC	SHAHID GAJARAJ SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DIVRALA (219354)	AJEET GARH	

  
(शीशराम कुलहरि)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर